I/100147/2023

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग
संख्या–266 I-1/2023-04/29/2017(E-28162)
देहरादूनः दिनांक 17 फरवरी, 2023

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न केन्द्रीय उपक्रमों/यूजेवीएन लि0 (राजकीय निगम) को राज्य सरकार द्वारा आवंटित परियोजनाओं को वित्तीय रूप से और अधिक युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु निम्नांकित् मदों में छूट अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– कंपित मुक्त विद्युत रॉयल्टी ऊर्जा स्लैब (Staggered Free Power Royalty Energy slabs):– केन्द्रीय उपक्रमों को परियोजनाओं के परिचालन के उपरान्त उनसे प्राप्त होने वाले रायल्टी (निःशुल्क ऊर्जा) में अंतरीकरण (Staggering) निम्नानुसार अनुमन्य होगाः–

वर्ष	निःशुल्क ऊर्जा स्तर
10 वर्ष की अवधि तक	04 प्रतिशत
11 वर्ष–18 वर्ष	08 प्रतिशत
19 वर्ष–40 वर्ष	25 प्रतिशत
41 वर्ष से अधिक अवधि तक	40 प्रतिशत

निःशुल्क विद्युत ऊर्जा में अंतरीकरण (Staggering) केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगा जिनकी संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित छूट के लागू होने की तिथि के उपरान्त होगा।

2– राज्य जी0एस0टी0 में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of 50% State GST) :– केन्द्रीय उपक्रमों तथा यूजेवीएन लि0 को इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त आवंटित नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास/निर्माण के मामले में एस0जी0एस0टी0 की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। एस0जी0एस0टी0 की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रकिया अपनायी जायेगीः–

1. सम्बंधित प्रतिपूर्ति का मूल उद्देश्य जल विद्युत परियोजनाओं की लागत को कम किया जाना है ताकि इससे आकर्षित होकर राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन से अधिकाधिक परियोजनाएं स्थापित हो सकें। इस क्रम में प्रतिपूर्ति केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम द्वारा अनुबंधित संविदाकारों को किये जाने की अपेक्षा केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम को किया जायेगा। केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम को प्रतिपूर्ति किये जाने की दशा में केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम द्वारा क्रय पर दिए गए कर की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2. केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम द्वारा परियोजना निर्माण हेतु प्राप्त ऐसी सेवाओं तथा वस्तुओं पर दिए गए कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम के जीएसटीआर–2A/2B में autopopulate हुयी हो।

Generated from eOffice by KAMAL KUMAR, RO-RK REVIEW OFFICER, Energy Department on 17/02/2023 12:54 PM

I/100147/2023

3. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि जीएसटीआर–2A/2B में परिलक्षित खरीद प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह परियोजना में ही प्रयुक्त की गयी है। यह सुनिश्चित किये जाने के लिए सेवा सम्बन्धी मामलों में सम्बंधित खरीद का सत्यापन अनुबंध से किया जाना होगा तथा केन्द्रीय उपक्रमों/राजकीय उपक्रम द्वारा स्वयं किसी वस्तु की खरीद किये जाने की दशा में क्षेत्राधिकार उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदत्त end use certificate उपलब्ध कराया जायेगा।
4. सम्बंधित प्रतिपूर्ति वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के पश्चात की जायेगी।
5. सम्बंधित प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र नोडल विभाग (जिसे प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटित किया गया है) को ई–मेल के माध्यम से अग्रेषित किया जायेगा। सम्बंधित आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण जैसे प्रतिष्ठान का नाम, पता, जीएसटीआईएन, कार्यालय का नाम, जहाँ पंजीकृत है/राज्य क्षेत्राधिकार कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उक्त केन्द्रीय कर प्रशासित आवेदक अवस्थित है ,का नाम, ई–मेल, मोबाइल नंबर सहित जीएसटीआर–2A/2B में माहवार परिलक्षित एसजीएसटी की धनराशि, खरीद पर दिए गए एसजीएसटी की कुल धनराशि, दावाकृत प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्मिलित होंगे। आवेदन पत्र के साथ मासिक/तिमाही विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, की प्रति, वार्षिक विवरणी की प्रति, अनुबंध की प्रति, end use certificate की प्रति प्रस्तुत की जायेगी।
6. ई–मेल के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति के 3 दिन के भीतर नोडल विभाग द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति आवेदन सम्बंधित राज्य क्षेत्राधिकार कर अधिकारी को उनकी राजकीय ई–मेल आई डी पर प्रेषित किया जायेगा। आवेदक के केन्द्रीय कर क्षेत्राधिकार के अधीन होने की दशा में सम्बंधित दावा ऐसे राज्य क्षेत्राधिकार कर अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उक्त केन्द्रीय कर प्रशासित आवेदक अवस्थित है, को अग्रेषित किया जाएगा।
7. सम्बंधित क्षेत्राधिकार कर अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर दावाकृत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति आवेदक को अनुमन्य होने की स्थिति में सम्बंधित कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति दावे के सत्यापन/अनुमोदन सम्बन्धी रिपोर्ट नोडल विभाग एवं आवेदक को उनकी ई–मेल आई डी पर प्रेषित की जायेगी।
8. दावाकृत प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होने अथवा कम होने अथवा आवेदन विहित प्रक्रिया अनुसार नहीं होने की स्थिति में सम्बंधित क्षेत्राधिकार कर अधिकारी 3 दिन के भीतर आवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित करेगा। प्रत्युत्तर प्राप्ति पर 3 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति धनराशि के सम्बन्ध में अपना निर्णय आवेदक तथा नोडल विभाग को सूचित किया जाएगा। उक्त समस्त कार्यवाही ऑनलाइन (ई–मेल माध्यम से) संपादित की जायेगी।
9. क्षेत्राधिकार कर प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने की स्थिति में सम्बंधित निर्णय के विरुद्ध आवेदन निर्णय सूचित होने के 5 दिन के भीतर संभागीय ज्वाइंट कमिश्नर को किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा। आवेदन के विलम्ब से प्रेषित होने की दशा में प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में संभागीय ज्वाइंट कमिश्नर को विलम्ब क्षमा का अधिकार होगा। आवेदन प्राप्ति पर आवेदक को अपना पक्ष

Generated from eOffice by KAMAL KUMAR, RO-KK, REVIEW OFFICER, Energy Department on 17/02/2023 12:54 PM

I/100147/2023

रखने का अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्थिति में आवेदन प्राप्ति से 10 दिन के भीतर निर्णय निर्गत किया जाना होगा, जिसकी सूचना आवेदक तथा नोडल विभाग को दी जायेगी। यह समस्त कार्यवाही भी ऑनलाइन (ई–मेल माध्यम से) संपादित की जायेगी।

10. विवादित मामलों में उनके अंतिम होने पर ही नोडल विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
11. प्रतिपूर्ति दावे के सुचारू निस्तारण हेतु नोडल विभाग द्वारा एक समर्पित ई–मेल आई डी जारी की जायेगी, जिसकी सूचना मुख्यालय आयुक्त राज्य कर सहित आवेदक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त राज्य कर क्षेत्राधिकारियों के राजकीय ई–मेल आई डी की सूचना नोडल विभाग को मुख्यालय आयुक्त राज्य कर द्वारा उपलब्ध कराएंगे। आवेदक द्वारा नोडल विभाग की समर्पित ई–मेल आई डी तथा राज्य कर क्षेत्राधिकारियों के राजकीय ई–मेल आई डी की सूचना नोडल विभाग, मुख्यालय आयुक्त राज्य कर अथवा संभागीय कार्यालय {ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)} से प्राप्त की जा सकेगी।
12. इस सम्बन्ध में निर्गत की जाने वाली प्रतिपूर्ति की अंतिम समय सीमा/अवधि सम्बंधित जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने/कमीशनिंग की तिथि होगी।''
13. उक्त कार्यवाहियों की प्रति/सूचना प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0 की शासकीय ई–मेल mdujvnl@ujvnl.com पर भी प्रेषित की जायेगी।
14. राजकीय उपक्रम यूजेवीएन लि0 द्वारा डीपीआर तैयार करते समय उक्त राशि को घटाया जायेगा।

3– उत्तराखण्ड राज्य में केन्द्रीय उपक्रमों को नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन भविष्य में 70 वर्ष की अवधि हेतु किया जायेगा।

4– यह प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू होगें, जिनका परिचालन (Commissioning) इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात होगा।

5– कंपित मुक्त विद्युत रॉयल्टी ऊर्जा स्लैब में परिवर्तन/SSGST की प्रतिपूर्ति/परियोजनाओं की आवंटन अवधि 70 वर्ष किये जाने का मुख्य औचित्य राज्य में परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है। अतः निगम स्तर पर वार्षिक रूप से उक्त छूटों से होने वाली राजस्व हानि/विद्युत लाभ/परियोजनाओं की स्थापना में प्रोत्साहन/संख्या वृद्धि एवं अन्य संगत पक्षों यथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास/पलायन/रोजगार इत्यादि का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभ/हानि का विवरण तैयार कर संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 16-02-2023 17:19:27
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

Generated from eOffice by KAMAL KUMAR, RO-KK, REVIEW OFFICER, Energy Department on 17/02/2023 12:54 PM

I/100147/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3– सचिव, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सज्ञानार्थ।

6– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्र0), उत्तराखण्ड शासन।

7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।

8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9– सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।

10– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/पिटकुल/उपाकालि, देहरादून।

11– निदेशक, उरेडा, देहरादून।

12– निदेशक, ऊर्जा सैल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित विकासकर्ताओं को उक्त अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13– अनुभाग अधिकारी, गोपन (मंत्रिपरिषद), उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के क्रम में यथोचित कार्यवाही हेतु।

14– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15– अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Vikram Singh Rana
Date: 17-02-2023 12:25:01

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by KAMAL KUMAR, RO-KK, REVIEW OFFICER, Energy Department on 17/02/2023 12:54 PM